न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

प्रशिक्षण नियमावली

प्रोजेक्ट का नाम

विधि मित्रों के माध्यम से 700 ग्रामों की पंचायत का कानूनी सशक्तीकरण

द्वारा समर्थित
न्याय विभाग,
भारत सरकार

द्वारा कार्यान्वित
बिहार लोक प्रशासन एवं
ग्रामीण विकास संस्थान
बिहार सरकार

कार्यक्रम परिचय

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की न्याय तक सुगम पहुंच हो सके इसके लिए भारत सरकार के न्याय विभाग ने "Designing Innovative Solutions for Holistic Access to justice (DISHA)" शीर्षक से 2021–2026 की अवधि के लिए एक सुसंगत योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य न्याय विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे अलग–अलग न्याय घटकों का विलय करना है ताकि न्याय प्रदान करने में आ रही समस्याओं को हल किया जा सके। इस योजना के माध्यम से स्थानीय प्रशासन के साथ साझेदारी बनाकर कानूनी साक्षरता को मुख्यधारा में लाने के लिए मौजूदा कार्यबल, जमीनी स्तर/फ्रंटलाइन कार्यकर्ता/स्वयंसेवकों का कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता के मुद्दों पर प्रशिक्षण व संवेदीकरण किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। बिहार में यह कार्यक्रम न्याय विभाग, भारत सरकार के सहयोग से बिपार्ड द्वारा चलाया जा रहा है।

बिपार्ड, बिहार सरकार, एक परिचय

बिपार्ड लोक प्रशासन, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज, गैर–सरकारी संगठन, शहरी विकास, भूमि, जल प्रबंधन और स्वच्छता आदि के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान का एक शीर्ष संस्थान है। इसे उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। नीति निर्माण, कार्यक्रम पहल, कार्यान्वयन रणनीतियों, प्रशिक्षण, अनुसंधान मूल्यांकन, दस्तावेजीकरण और सूचना के प्रसार के क्षेत्रों में राष्ट्रीय और राज्य सरकारों और इन क्षेत्रों से संबंधित अन्य एजेंसियों को आवश्यक सहायता प्रदान करना।

न्याय विभाग, भारत सरकार, एक परिचय

कार्य आवंटन (नियम), 1961 के अनुसार, न्याय विभाग, भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय का एक हिस्सा है । यह भारत सरकार के सबसे पुराने मंत्रालयों में से एक है । 31.12.2009 तक, न्याय विभाग गृह मंत्रालय का हिस्सा था और केंद्रीय गृह सचिव, न्याय विभाग के सचिव थे । बढ़ते कार्यभार को ध्यान में रखते हुए और देश में न्यायिक सुधारों पर कई नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए, एक अलग विभाग अर्थात् न्याय विभाग को गृह मंत्रालय से अलग किया गया और भारत सरकार के सचिव के प्रभार में रखा गया और इसने 01 जनवरी, 2010 से विधि और न्याय मंत्रालय के तहत काम करना शुरू कर दिया । न्याय विभाग, जैसलमेर हाउस, 26 मानसिंह रोड नई दिल्ली में स्थित है। विभाग के संगठनात्मक ढांचे में 01 विशेष सचिव, 03 संयुक्त सचिव, 07 निदेशक/उप सचिव और 08 अवर सचिव शामिल हैं । न्याय विभाग के कार्यों में भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति, इस्तीफा और निष्कासन और उनके सेवा मामले शामिल हैं। इसके अलावा, विभाग न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास, संवेदनशील प्रकृति के मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना (बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट), देश भर के विभिन्न न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण पर ई–कोर्ट परियोजना गरीबों को कानूनी सहायता और न्याय तक पहुंच, देश के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को वित्तीय सहायता के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करता है। न्याय विभाग के कार्य आवंटन (नियम), 1961 में दिए गए हैं ।

कार्यक्रम उद्देश्य

- बिहार के 9 आकांक्षी जिलों **(अररिया, जमुई, गया, किशनगंज, मधेपुरा, औरंगाबाद, सहरसा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर)** की ग्रामीण आबादी की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना
- उपरोक्त लाभार्थियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 700 चयनित पंचायतों के स्थानीय शासन प्रतिनिधियों की संवेदनशीलता को बढ़ाना
- न्यायिक सेवाओं तक पहुँच बनाने में स्थानीय समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए 700 न्यायमित्रों/ विधिमित्रों/युवा स्वयं समाज सेवकों का एक संवर्ग बनाना
- लाभार्थियों के कानूनी अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और अन्य सरकारी विभागों व मीडिया के साथ संबंध स्थापित करना

अनुक्रमणिका

विषय बिन्दु	—	पृष्ठ संख्या
प्रशिक्षण नियमावली	—	05
कार्यसूची	—	17
मानव तस्करी	—	20
बाल विवाह	—	41
बालश्रम	—	56
साइबर क्राइम	—	73
घरेलू हिंसा	—	93
दहेज प्रथा	—	114
नशा	—	125
सवाल आपके जानकारी के लिए	—	142
न्याय विभाग, भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं	—	145

प्रशिक्षण नियमावली

प्रोजेक्ट का नाम– विधि मित्रों के माध्यम से 700 ग्रामों की पंचायत का कानूनी सशक्तिकरण

द्वारा समर्थित– न्याय विभाग, भारत सरकार

द्वारा कार्यान्वित– बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बिहार सरकार

मानव तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, शराब और नशीली दवाओं की लत पर

पृष्ठभूमि

सामाजिक मुद्दों पर प्रशिक्षण मैनुअल BIPARD, बिहार सरकार और DoJ, भारत सरकार के बीच चर्चा और सहयोगात्मक प्रक्रियाओं से विकसित हुआ है।

2023 में, BIPARD और DoJ ने मानव तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, शराब और नशीली दवाओं की लत के क्षेत्र में एक 'संसाधन टीम' (मास्टर ट्रेनर/तकनीकी विशेषज्ञ) विकसित करने की दिशा में पहल की। इसका उद्देश्य बिहार राज्य भर में विभिन्न पदाधिकारियों

के साथ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशिक्षकों/सुविधाकर्ताओं का एक कैडर विकसित करना था ताकि उन्हें ज्ञान/कौशल से लैस किया जा सके। BIPARD ने नागरिक समाज और सरकार दोनों से 12 पेशेवरों के एक समूह की पहचान की। प्रतिभागियों की प्रोफ़ाइल में यूनिसेफ, गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे विभिन्न संगठनों में काम करने वाले व्यक्ति शामिल थे। प्रशिक्षण मैनुअल में निम्नलिखित छह मॉड्यूल शामिल हैं :

- मॉड्यूल 01 : मानव तस्करी
- मॉड्यूल 02 : बाल विवाह
- मॉड्यूल 03 : बाल श्रम
- मॉड्यूल 04 : साइबर अपराध
- मॉड्यूल 05 : घरेलू हिंसा
- मॉड्यूल 06 : शराब और नशीली दवाओं की लत

मॉड्यूल सहभागी प्रशिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर आधारित हैं। प्रतिभागियों के पास अपना स्वयं का मौजूदा ज्ञान/अनुभव है, जिसे पहचानने की आवश्यकता है और विभिन्न भागीदारी विधियों के माध्यम से प्रशिक्षण में इसे अच्छी तरह से एकीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक मॉड्यूल के सत्र सूचना, समूह अभ्यास, बातचीत के बिंदु और चर्चा का एक संयोजन है। प्रत्येक सत्र में प्रशिक्षक/सुविधाकर्ता के लिए सत्र इनपुट शामिल हैं। कुछ सत्रों के लिए, प्रतिभागी हैंडआउट्स भी हैं। प्रत्येक मॉड्यूल स्वतंत्र है। इसका उपयोग अलग से या अन्य मॉड्यूल के साथ संयोजन में किया जा सकता है।

मैनुअल का उपयो ग करने के लिए दिशा–निर्देश : यह मैनुअल प्रशिक्षकों/सुविधाकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और/या संदर्भ सामग्री के रूप में अभिप्रेत है। अधिकांश सत्र इंटरैक्टिव हैं और इसका उद्देश्य प्रतिभागियों से अधिकतम भागीदारी प्राप्त करना है। सभी छह मॉड्यूल को लंबी अवधि के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है, या प्रत्येक मॉड्यूल

का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रशिक्षण मैनुअल में छह मॉड्यूल हैं। 16 घंटे के वास्तविक प्रशिक्षण के कुल 10 सत्र होंगे, जो दो दिवसीय आवासीय होंगे। छह मॉड्यूल और प्रत्येक मॉड्यूल में सत्रों की संख्या इस प्रकार हैरू

- मॉड्यूल 01 : मानव तस्करी (1 सत्र; 90 मिनट)
- मॉड्यूल 02 : बाल विवाह (1 सत्र; 90 मिनट)
- मॉड्यूल 03 : बाल श्रम (1 सत्र; 90 मिनट)
- मॉड्यूल 04 : साइबर अपराध (1 सत्र; 90 मिनट)
- मॉड्यूल 05 : घरेलू हिंसा (1 सत्र; 90 मिनट)
- मॉड्यूल 06 : शराब और नशीली दवाओं की लत (1 सत्र; 90 मिनट)
- क्षेत्र का दौरा (1 सत्र; 120 मिनट)

प्रत्येक मॉड्यूल के भीतर सत्रों के बारे में : प्रत्येक सत्र स्वतंत्र है, सत्र के लिए एक व्यापक थीम/विषय है। सत्र के भीतर प्रत्येक गतिविधि की अवधि 15 मिनट से लेकर हो सकती है। प्रत्येक सत्र में सीखने का उद्देश्य, आवश्यक संसाधन सामग्री, सत्र आयोजित करने की प्रक्रिया और सुविधाकर्ता के लिए सत्र इनपुट शामिल हैं। सत्रों में सीखने को प्रासंगिक जानकारी के आदान–प्रदान, कार्य अनुभव को साझा करने और/या समूह चर्चा में शामिल होने की प्रक्रिया के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाती है, जो सुविधाकर्ता से अतिरिक्त इनपुट के साथ पूरक होती है। हालाँकि सत्रों का एक क्रम होता है, फिर भी, उपलब्ध समय और संसाधनों के आधार पर सत्रों को मर्ज किया जा सकता है। हालाँकि, सत्र का उद्देश्य पूरा करना होगा। प्रत्येक मॉड्यूल के लिए आप दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं।

यद्यपि सत्र इनपुट प्रदान किए गए हैं, सत्र से पहले विषय पर प्रशिक्षक/सुविधाकर्ता द्वारा अतिरिक्त पढ़ना, सत्र को पूरक करेगा। इसके अलावा, भारतीय संदर्भ में बच्चों की स्थिति विविध है। राज्य और क्षेत्रीय

भिन्नताओं के साथ–साथ शहरी, ग्रामीण और आदिवासी भिन्नताएँ भी हैं। ये सभी चीजें बच्चों के जीवन को और प्रभावित करती हैं। सत्रों को प्रतिभागियों के लिए प्रासंगिक बनाने, उनके क्षेत्र के अनुभव को शामिल करने और, सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके कार्य क्षेत्र में बाल संरक्षण के बड़े सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक–राजनीतिक संदर्भ के आधार पर अनुकूलित करना पड़ सकता है। इसलिए, यह प्राथमिकता दी जाती है कि प्रशिक्षक/सुविधाकर्ता अनुभवी हो और उसे बाल अधिकारों और बाल संरक्षण की प्रासंगिक और व्यापक समझ हो। कुछ सत्रों में अतिरिक्त इनपुट के लिए सुविधा प्रदाता के साथ–साथ बाहरी संसाधन व्यक्तियों की भी आवश्यकता हो सकती है।

ध्यान देने योग्य कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं :

- **प्रशिक्षण का आयोजन** – सुनिश्चित करें कि जिस कमरे में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वह हवादार, अच्छी रोशनी वाला हो और बैठने की आरामदायक व्यवस्था हो। सुनिश्चित करें कि पानी और भोजन (विशेषकर लंबी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए) की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जहां तक संभव हो, प्रत्येक प्रतिभागी को लेखन सामग्री उपलब्ध कराएं। यह प्रतिभागियों को सत्र के दौरान अपने स्वयं के नोट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी स्वयं की 'प्रशिक्षण ट्रे' रखें, जिसमें कागज, पेन, चार्ट पेपर, मार्कर पेन, स्केच पेन, पेंसिल, इरेज़र, कैंची, चिपचिपा/चिपकने वाला टेप, स्टेपलर और पिन शामिल हैं। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोजेक्टर, माइक्रोफ़ोन, कंप्यूटर जैसे उपकरण काम करने की स्थिति में हैं (प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने से पहले उनका परीक्षण करें)

- **सत्र पूर्व तैयारी** – जिस सत्र का संचालन आप करेंगे उसके लिए अच्छी तैयारी करें। विषय के बारे में अपनी अवधारणाओं या संदेहों

को स्पष्ट करने के लिए विषय पर प्रासंगिक सामग्री पढ़ें। सत्र के दौरान प्रतिभागियों के साथ कुछ प्रासंगिक सामग्री साझा करें। इसे या तो सत्र में ही एकीकृत किया जा सकता है या सत्र के पूरक के रूप में प्रदान किया जा सकता है। अपने प्रस्तुतिकरण बिंदुओं सहित अपने प्रशिक्षण नोट्स तैयार रखें। (यदि आप प्रशिक्षण का आयोजन कर रहे हैं, तो प्रशिक्षक/सुविधाकर्ता को प्रशिक्षण के उद्देश्यों और सत्र की आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से बताएं ताकि वे तदनुसार तैयारी कर सकें)

- **समय प्रबंधन** – सत्र की अवधि याद रखें। अपनी गतिविधियों और अभ्यासों की योजना बनाएं ताकि चर्चा और अन्य इनपुट के लिए पर्याप्त समय बचे। निर्धारित समय के अंदर सत्र का संचालन करें. वैकल्पिक रूप से, समय बढ़ाने या घटाने के लिए गतिविधियों की सामग्री/संख्या को संशोधित करें। हालाँकि, सत्रों के समग्र उद्देश्य को पूरा करने की आवश्यकता होगी।

- **संसाधन सामग्री** – सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सत्र के लिए आवश्यक संसाधन सामग्री, हैंडआउट्स सहित, यदि कोई हो, सत्र शुरू होने से पहले तैयार है।

- **सीखने के लिए अनुकूल माहौल बनाना** – शुरुआत में ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों, दायरे और प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करें। प्रतिभागियों के साथ, व्यवहार/आचरण के लिए मानदंड या ''आधारभूत नियम'' विकसित करें जिनका सभी प्रतिभागियों (प्रशिक्षक/सुविधाकर्ता सहित) को सत्र के दौरान पालन करना आवश्यक होगा। एक सहायक वातावरण बनाएं जिसमें प्रतिभागियों को बिना किसी हिचकिचाहट के भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सभी प्रतिभागियों के प्रति सम्मान और गरिमा प्रदर्शित करें।

- **सत्र का संचालन** – यह पहचानें कि प्रतिभागी अपने अनुभव और ज्ञान के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम में आते हैं। प्रतिभागियों से नई सीख और/या सुझावों के लिए अन्य क्षेत्र खुले रहे।

- **परिचय** : विषय पर जल्दबाजी न करें। अपना परिचय दें और प्रतिभागियों से परिचित हों। परिचय संक्षिप्त रखें, अन्यथा इससे सत्र के लिए आवंटित समय कम हो जाएगा। इसके अलावा, आप विषय को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत कर सकते हैं; विषय के बारे में एक प्रमुख प्रश्न पूछें, एक लघु प्रश्नोत्तरी आयोजित करें, या प्रतिभागियों के बीच रुचि पैदा करने के लिए एक प्रासंगिक किस्सा या उदाहरण साझा करें।

- **सामग्री वितरण और सुविधा** : धीरे और स्पष्ट रूप से बोलें। आँख से संपर्क बनाए रखें। वास्तविक/प्रामाणिक प्रतिक्रियाएँ प्रदान करें। रुचि बनाए रखने के लिए ऊर्जावान और अन्य समूह–निर्माण गतिविधियों का उपयोग करें। इसके अलावा, एक सत्र आमतौर पर अधिक रोमांचक और मनोरंजक होता है यदि इसमें कोई दृश्य घटक हो। अतिरिक्त इनपुट या व्याख्यान देते समय, कंप्यूटर–सहायता प्राप्त प्रस्तुतियों, स्लाइड शो, चार्ट पेपर, लेखन बोर्ड, पोस्टर, चित्र, आरेख और फिल्म, जो भी उपलब्ध हो, का उपयोग करें। लंबा व्याख्यान देने से बचें! विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से शामिल करें और प्रेरित करें। सत्र के दौरान ही प्रतिभागियों के साथ हैंडआउट पढ़ें। प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं/प्रश्नों को प्रोत्साहित करें। यदि आप प्रतिभागी द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, तो वास्तविक उत्तर दें और/या अन्य प्रतिभागियों से प्रश्न या प्रश्न के उत्तर मांगें। यदि प्रतिभागी आपके या अन्य प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए किसी मुद्दे से सहमत नहीं हैं, तो व्यक्तिगत टिप्पणियों और आरोपों की अनुमति दिए बिना बहस को प्रोत्साहित करें। बताएं कि प्रत्येक प्रतिभागी को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अधिकार है। प्रतिभागियों को एक दूसरे को सुनने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि एक प्रतिभागी चर्चा पर हावी/एकाधिकार कर रहा है, तो विनम्रता से समझाएं कि सभी प्रतिभागियों के लिए समय की आवश्यकता होगी। सत्रों में ज्ञान, कौशल और उचित दृष्टिकोण–निर्माण को एकीकृत करें।

- **स्वैच्छिक भागीदारी** : किसी प्रतिभागी को गतिविधि में भाग लेने के लिए बाध्य न करें। भागीदारी स्वैच्छिक है, और प्रतिभागी को किसी भी गतिविधि में भाग लेते समय आराम और सहजता के स्तर का अनुभव करना चाहिए। प्रतिभागियों की उम्र, लिंग और सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ का ध्यान रखें। इसके अलावा, विकलांगता या विशेष आवश्यकता वाले प्रतिभागी भी हो सकते हैं। ऐसे प्रतिभागी भी हो सकते हैं जो पहली बार सहभागी प्रशिक्षण कार्यशाला से गुजर रहे हों। इसलिए प्रतिभागियों की प्रोफ़ाइल और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को समझना और उसके अनुसार प्रशिक्षण को डिजाइन/संचालित करना अनिवार्य है।

- **सत्र का समापन** : सत्र का सारांश प्रस्तुत करें। वैकल्पिक रूप से, आप किसी प्रतिभागी को सत्र का सारांश बताने के लिए भी आमंत्रित कर सकते हैं। प्रतिभागियों को उनके योगदान के लिए स्वीकार करें और/या सराहना करें, मुख्य बिंदुओं पर संक्षेप में प्रकाश डालें और सत्र समाप्त करें।

आइसब्रेकर, एनर्जाइज़र और ग्रुप बिल्डिंग :

आइसब्रेकर, एनर्जाइज़र और अन्य समूह निर्माण गतिविधियाँ कुछ ऐसे उपकरण हैं जो किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करते समय एक सुविधाकर्ता के लिए उपलब्ध होते हैं। ये उपकरण, जब सही और उचित तरीके से उपयोग किए जाते हैं, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम को और अधिक रोचक बना सकते हैं, साथ ही प्रतिभागी को प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ अधिक जुड़ाव के लिए उत्साहित कर सकते हैं। आइसब्रेकर, एनर्जाइज़र और ग्रुप बिल्डिंग जैसे शब्द कभी–कभी एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। हालाँकि वे समान प्रकार की गतिविधियाँ हो सकती हैं, आइसब्रेकर, एनर्जाइज़र और समूह निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य एक दूसरे से अलग हैं। हालाँकि ये सभी अनिवार्य रूप से समूह बंधन के उद्देश्य को पूरा करते हैं, आइसब्रेकर मुख्य रूप से समूह को एक–दूसरे से परिचित होने में मदद करते

हैं। एनर्जाइज़र समूह की 'ऊर्जा' और 'रिचार्जिंग' के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। समूह–निर्माण अभ्यास मुख्य रूप से समूह को एक साथ लाने के लिए होते हैं।

समूह बनाने के तरीके :

सत्रों और गतिविधियों का संचालन करते समय, आमतौर पर प्रतिभागियों को छोटे उपसमूहों में विभाजित करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। प्रतिभागियों को छोटे समूहों में विभाजित करने के कई रचनात्मक और मज़ेदार तरीके हैं। उचित समूह गठन प्रतिभागियों के बीच उनके समूहों के भीतर बातचीत को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, कुछ प्रतिभागी बड़े समूहों के सामने बोलने की तुलना में छोटे समूहों में अधिक सहज हो सकते हैं। इसके अलावा, इससे समूह में बेहतर सामंजस्य भी स्थापित होता है। इसके अलावा, समूह में एक साथ काम करते समय प्रतिभागी एक–दूसरे से भी सीखते हैं। ये सभी सुविधा प्रदाता को प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सकारात्मक सीखने का माहौल बनाने में सक्षम बनाते हैं।

सुझाए गए आइसब्रेकर और एनर्जाइज़र :

सत्र के लिए आवश्यक समूह के प्रकार, समूह के आकार, उप–समूहों के आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के समूह गतिविधियाँ बनाते हैं। नीचे सूचीबद्ध कुछ सुझाए गए आइसब्रेकर, एनर्जाइज़र और समूह बनाने वाली गतिविधियाँ हैं। फैसिलिटेटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुरूप निम्नलिखित का उपयोग/अनुकूलन कर सकते हैं या अपने एनर्जाइज़र और आइसब्रेकर का सेट बना सकते हैं :

1. आइए कुछ सामान्य खोजें!

समूह निर्माण की यह विधि मध्यम से बड़े आकार के समूह के लिए उपयुक्त है। फैसिलिटेटर लोगों को समानताओं के आधार पर समूह

बनाने के लिए कहता है जैसे कि एक ही महीने में पैदा हुए लोगों को ढूंढना/एक ही भाषा बोलना/रहने का एक ही स्थान/किसी विशेष खाद्य पदार्थ का आनंद लेना/सामान्य पसंदीदा रंग/समान शिक्षा/समान पेशा, समान आयु सीमा/ कपड़ों का एक ही रंग, आदि। यदि एक या दो व्यक्ति छूट जाते हैं, तो उन्हें उनकी पसंद के किसी भी समूह में समायोजित किया जा सकता है।

2. हमें जोड़ी बनाने दीजिए !

इसका उपयोग दो–तीन सदस्यों के जोड़े/युग्म/समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। सुविधाकर्ता दो समान शब्दों को दो–तीन अलग–अलग चिटों/कागज के छोटे टुकड़ों पर लिखता है। ये किसी रंग/फल/देश/सब्जी/फिल्म अभिनेता आदि का कोई भी शब्द हो सकता है। सुविधाकर्ता जितनी आवश्यकता हो उतने चिट तैयार करता है और चिटों को मिलाता है और उन्हें वितरित करता है। प्रत्येक प्रतिभागी को अपनी चिट पढ़नी चाहिए और समान चिट वाले प्रतिभागियों की तलाश करनी चाहिए। उन्हें इस प्रकार अपने जोड़े के सदस्य की तलाश करनी होगी । फिर सुविधाकर्ता उनसे अपना परिचय देने के लिए कह सकता है (यदि वे एक–दूसरे को नहीं जानते हैं) या अपने बारे में कुछ बातें साझा करने के लिए कह सकते हैं।

3. क्या आप फिल्मों का आनंद लेते हैं !

यह गतिविधि ऊपर बताई गई गतिविधि की तरह ही है, यहां फिल्मों के नाम का उपयोग किया जाता है। इस मामले में, फैसिलिटेटर लंबे शीर्षक वाली फिल्मों का भी उपयोग कर सकता है, शीर्षक का आधा हिस्सा एक चिट में और दूसरा आधा दूसरे चिट में लिख सकता है। प्रतिभागियों को अन्य प्रतिभागियों की तलाश करनी है जिनके पास फिल्म के शीर्षक का दूसरा भाग है और उनका समूह बनाना है। समूह तब फिल्म पर संक्षेप में चर्चा कर सकता है, या

अपने बारे में साझा कर सकता है, या किसी अन्य प्रश्न का उत्तर दे सकता है जिसे सूत्रधार पूछना चाहता है।

4. यह वह तरीका है जिससे हम चारों ओर घूमते हैं !

सूत्रधार प्रतिभागियों से दो संकेंद्रित वृत्त (एक वृत्त दूसरे वृत्त के भीतर) बनाने के लिए कहता है। बाहरी वृत्त में प्रतिभागी एक वृत्त में दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं और आंतरिक वृत्त में प्रतिभागी वृत्त में वामावर्त दिशा में घूमते हैं। कुछ सेकंड के बाद, फैसिलिटेटर उन्हें रुकने के लिए कहता है! जब वे रुकते हैं, तो फैसिलिटेटर उनसे आंतरिक घेरे में उनके सामने खड़े व्यक्ति से उनके नाम और मूल स्थान के बारे में बात करने के लिए कहता है। जब वे बोलना समाप्त कर लेते हैं, तो वे घेरे में घूमते रहते हैं। जब उनसे रुकने के लिए कहा जाता है! उन्हें सामने खड़े नये व्यक्ति से बातचीत करनी होती है। ऐसे तीन–चार राउंड के बाद, फैसिलिटेटर उनसे उन तीन/चार व्यक्तियों में से किसी एक के साथ समूह बनाने के लिए कहता है जिनसे उन्होंने बातचीत की है। किसी भी बिंदु पर, सुविधाकर्ता इस अभ्यास को तोड़ सकता है, और समूह बना सकता है, या उन्हें गतिशील रख सकता है और प्रतिभागियों के लिए एक–दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए प्रश्न जोड़ सकता है।

5. यह किसका है !

प्रत्येक प्रतिभागी अपनी एक छोटी सी चीज़ एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रखता है। फिर फैसिलिटेटर प्रत्येक प्रतिभागी को आगे आने और बॉक्स से एक वस्तु लेने, उसके मालिक का पता लगाने के लिए कहता है और वे एक–दूसरे के बारे में या फैसिलिटेटर द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न के बारे में कुछ बातें साझा करते हैं।

6. नमस्ते और नमस्ते !

इसे या तो सत्र से पहले एक आइसब्रेकर के रूप में या सत्र के दौरान एक ऊर्जावान के रूप में, या समापन के बाद आयोजित

किया जा सकता है। फैसिलिटेटर प्रतिभागियों को खड़े होने, कमरे के चारों ओर घूमने, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने या अभिवादन करने, हाथ मिलाने, नमस्ते/नमस्ते/या सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार कोई अन्य अभिवादन करने के लिए कह सकता है।

समूह निर्माण अभ्यास :

1. **गिनती** – प्रतिभागियों को विभाजित करने का सबसे आसान तरीका गिनती विधि है। उदाहरण के लिए, 20 प्रतिभागी हैं, और सुविधाकर्ता उन्हें 5 प्रतिभागियों के 4 समूहों में विभाजित करना चाहता है। प्रत्येक प्रतिभागी को क्रम से अपने लिए एक नंबर पुकारना होगा। पहला प्रतिभागी '1' कहता है, दूसरा प्रतिभागी '2' कहता है, तीसरा प्रतिभागी '3' कहता है और इसी तरह संख्या '5' तक पहुंचने तक। संख्या '5' पर पहुंचने के बाद, अगला प्रतिभागी फिर से संख्या '1' से शुरू होता है और यह प्रक्रिया संख्या '5' तक जारी रहती है। सभी प्रतिभागियों द्वारा अपने नंबर बोलने के बाद, समान संख्या वाले प्रतिभागियों ने समूह बनाए। जिन लोगों ने संख्या '1' पुकारा है वे एक समूह बनाते हैं, जिन्होंने संख्या '2' पुकारा है वे एक समूह बनाते हैं जब तक कि सभी प्रतिभागी समूह में नहीं आ जाते। यदि एक–दो अतिरिक्त प्रतिभागी हैं, तो उन्हें किसी समूह में शामिल होने के लिए कहा जा सकता है या सुविधाकर्ता उन्हें किसी समूह में नियुक्त कर सकता है।

2. **संयोग से समूह** – फैसिलिटेटर प्रतिभागियों को कागज के एक टुकड़े पर अपना नाम लिखने के लिए कह सकता है। वैकल्पिक रूप से, सुविधाकर्ता चिट तैयार रख सकता है। सभी चिटों को एक छोटे बक्से/कटोरे में डाल दिया जाता है। सुविधाकर्ता कोई भी चार–पांच चिट चुन सकता है (समूह के आकार के आधार पर) या विभिन्न प्रतिभागियों को चिट चुनने के लिए आमंत्रित कर सकता है, चार–पांच नाम पुकार सकता है और वे समूह बना सकते हैं।

3. **भिन्न लेकिन सामान्य** – फैसिलिटेटर उम्र, कार्य अनुभव की प्रकृति और लिंग के आधार पर भी समूह बना सकते हैं, या प्रतिभागियों को उनकी पसंद के समूह बनाने के लिए भी कह सकते हैं। यह सत्र के उद्देश्य पर निर्भर करता है. उदाहरण के लिए, यदि सत्र में किसी गतिविधि पर एक साथ काम करने के लिए समरूप समूहों की आवश्यकता होती है, तो समान रुचियों वाले या एक–दूसरे से परिचित लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। हालाँकि, उदाहरण के लिए, यदि सत्र का उद्देश्य टीम निर्माण है, तो एक यादृच्छिक समूह प्रतिभागी के लिए एक–दूसरे को जानने और एक टीम विकसित करने का सीखने का अनुभव हो सकता है।

4. **रंगीन कार्ड** – फैसिलिटेटर समूह को विभिन्न रंगों के कार्ड दे सकता है और उन्हें ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने के लिए कह सकता है जिनका रंग समान हो और रंग के आधार पर अपने समूह बनाएं।

5. **चित्र बनाना** – सुविधाकर्ता तस्वीरें/छवियां (एक तस्वीर, एक विज्ञापन, आदि की प्रतिलिपि) ले सकता है, उन्हें तीन या चार टुकड़ों में काट सकता है (समूह के आकार के आधार पर) और प्रत्येक को एक यादृच्छिक टुकड़ा दे सकता है प्रतिभागी। प्रतिभागियों को संबंधित टुकड़ों के साथ अन्य प्रतिभागियों को ढूंढकर चित्र/छवि को पूरा करना होगा और इस प्रकार एक समूह बनाना होगा।

6. **अपना गीत/नृत्य/फिल्म संवाद ढूंढें** – सूत्रधार कुछ लोकप्रिय गीतों के नाम कागज के टुकड़ों/या किसी प्रसिद्ध नृत्य गीत/फिल्म के संवाद आदि पर लिखता है। इसे चार/पांच कागजों पर लिखना चाहिए। कागज़, समूह के आकार पर निर्भर करता है। फिर इन चिटों को समूह को सौंप दिया जाता है और सूत्रधार उन्हें बताता है कि उन्हें गाना गाकर/लोकप्रिय डांस स्टेप करके/फिल्म संवाद उद्धृत करके आदि द्वारा एक–दूसरे को ढूंढना होगा और प्रतिभागियों के साथ कुछ इसी तरह का अभिनय करके समूह बनाना होगा।

***

कार्यसूची

प्रथम दिन

समय : सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक

प्रातः 8:30 से 9:00 बजे तक	पंजीकरण एवं किट वितरण

समय	विषय	वक्ताओं
प्रातः 9:00 बजे से प्रातः 9:30 बजे तक	प्रशिक्षुओं का स्वागत करें और इस परियोजना के बारे में परिचय दें।	
प्रातः 9:30 से 10:00 बजे तक	प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षण–पूर्व प्रश्न	विषय विशेषज्ञ
प्रातः 10:00 बजे से प्रातः 10:15 बजे तक	चाय	
सुबह 10:15 बजे से 11:45 बजे तक सुबह 11:45 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक	तकनीकी सत्र 01 1. मानव तस्करी 2. बाल श्रमिक विषय विशेषज्ञ	मोड– जीवंत उदाहरण, समूह गतिविधियाँ और पीपीटी
दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक	दिन का खाना	
दोपहर 2:15 बजे से 3:45 बजे तक दोपहर 3:45 बजे से शाम 5:15 बजे तक	तकनीकी सत्र 02 3. घरेलू हिंसा 4. बाल विवाह एवं दहेज प्रथा	विषय विशेषज्ञ मोड– जीवंत उदाहरण, समूह गतिविधियाँ और पीपीटी
शाम 5:15 बजे से	चाय	

द्वितीय दिन

समय : सुबह 8:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक

समय	विषय	वक्ताओं
प्रातः 8:30 से 9:00 बजे तक	दिन 01 का पुनर्कथन	विषय विशेषज्ञ
प्रातः 9:00 बजे से प्रातः 9:15 बजे तक	चाय	
सुबह 9:15 बजे से 10:45 बजे तक	तकनीकी सत्र 03 5. शराब और नशीली दवाओं की लत	विषय विशेषज्ञ मोड– जीवंत उदाहरण, समूह गतिविधियाँ और पीपीटी
प्रातः 10:45 प्रातः से 11:00 बजे	चाय	
सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक	तकनीकी सत्र 04 6. साइबर अपराध	विषय विशेषज्ञ मोड– जीवंत उदाहरण, समूह गतिविधियाँ और पीपीटी
दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक	दिन का खाना	
दोपहर 2:00 बजे से 2:30 बजे तक	प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षण पश्चात प्रश्न	विषय विशेषज्ञ
दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक	न्याय विभाग, भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं	विषय विशेषज्ञ

समय	विषय	वक्ताओं
दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शाम 5:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक	विभिन्न पहचाने गए मुद्दों पर विभिन्न समूहों और समूहों में फील्ड विजिट। प्रतिक्रिया	विषय विशेषज्ञ
शाम 6:00 बजे से	चाय	

***

न्याय विभाग, भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं

- **Website link-**
  https://doj.gov.in/designing-innovative-solutions-for-holistic-access-to-justice-disha/

- **How to use Tele Law-**
  https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s35d6646aad9bcc0be55b2c82f69750387/uploads/2023/07/2023070535.pdf

- **Nyaya Bandhu**
  https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s35d6646aad9bcc0be55b2c82f69750387/uploads/2023/07/2023070542.pdf

- **PAN India Legal Literacy and Legal Awareness Link-**
  https://doj.gov.in/legal-literacy-legal-awareness/

- **Webinar details-**
  https://doj.gov.in/webinar/

- **YouTube Videos on different issues link (Ministry of Law and Justice)-**
  https://youtube.com/@ministryoflawandjustice2954

- **Play Store Application Nyaya Bandhu (PBLS)**
  https://play.google.com/store/apps/details?id=in.probono_doj.nyayabandhu

- **Play Store Application Tele-Law for Citizens**
  https://play.google.com/store/apps/details?id=in.telelaw.applicant

- **Download Tele-Law for Citizens Via scanning a QR code.**

- **Visit the digital library of the Department of Justice in your language Via scanning QR code.**

***

सत्यमेव जयते

Department of Justice
Ministry of Law and Justice
Government of India

विधिक साक्षरता

एवं

विधिक जागरूकता कार्यक्रम

2021-2023

न्याय तक सार्वभौमिक पहुंच

अनुच्छेद 39ए

सभी के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करना

एसडीजी 16

सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना

न्याय विभाग की यात्रा का दशक

कानूनी अधिकारिता की ओर

A2J-UNDP परियोजना (2009 - 2012)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से सीमांत लोगों के लिए न्याय तक पहुंच

भौगोलिक विस्तार

बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश

A2J-NEJK प्रोजेक्ट (2012 - 2017)

- विचाराधीन कैदियों सहित गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना
- गांव आधारित कानूनी क्लिनिक स्थापित करने में विधि महाविद्यालयों/एलएसए के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करना
- सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना

भौगोलिक विस्तार

असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख

पहले चरण की उपलब्धियां

20,672+
पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षित एवं संवेदनशील बनाया गया

1,400
गाँव बुरा और बुरी औपचारिक न्याय संस्थान के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए संवेदनशील बने

नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में एसआईआरडी के साथ सहयोग करना

15500+
कानूनी जागरूकता अभियान और संवेदीकरण अभियान आयोजित किए गए

दूसरे चरण की उपलब्धियां

7.12 lakh
लाभार्थियों को कवर किया गया

4390
कानूनी साक्षरता/कानूनी जागरूकता अभियान आयोजित किए गए

1,884
ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित एवं संवेदनशील बनाया गया

8.3 lakh
36 भाषाओं में 69 कानूनों पर आईईसी सामग्री

20,000+
मास्टर ट्रेनर्स

158
सामुदायिक स्तर पर कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित करना

अखिल भारतीय स्तर पर कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता के क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए *2021-2023* के दौरान *14* एजेंसियों को शामिल किया गया है।

सरकार/स्वायत्त/अनुसंधान निकाय

अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

परियोजना: 'परंपरागत ग्राम परिषद प्रणाली की प्रथाओं और भारत के औपचारिक कानूनों के बीच तालमेल'

महत्वपूर्ण पहल:

- 1367 गाँव बुराह और गाँव बूढ़ी को संवेदनशील बनाया गया
- E1T10 अनिवार्य प्रशिक्षण को 10 और प्रतिष्ठित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया

आउटरीच: **6,349**

Website : www.nalsa.gov.in/dashboard/AR

सिक्किम राज्य महिला आयोग

परियोजना: 'महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों पर क्षमतावर्धन'

महत्वपूर्ण पहल:

- प्रासंगिक सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर टॉक शो।
- महिलाओं से संबंधित कानूनों पर हितधारकों की कानूनी जागरूकता

आउटरीच: **1,17,666**

Website : www.sikkim.gov.in/

जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान, मणिपुर

परियोजना: 'बाल यौन शोषण के खिलाफ हितधारकों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण'

महत्वपूर्ण पहल:

- संवेदीकरण कार्यशालाएं और प्रशिक्षण मॉड्यूल
- पीड़ितों के लिए अस्पताल निर्देश के उपाय
- पीड़ितों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता

आउटरीच: **2,406**

Website : www.jnims.nic.in/

लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी, असम

परियोजना: 'पूर्वोत्तर राज्यों की पारंपरिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण'

महत्वपूर्ण पहल:

- जीवन संस्कृति और जनजातियों के प्रथागत कानूनों की अनूठी विशेषताओं का दस्तावेजीकरण

आउटरीच: **204**

Website : www.ghconline.gov.in/lri/

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

परियोजना: 'कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन'

महत्वपूर्ण पहल:

- डाटा बैंक का डिजिटल भंडार विकसित करना
- आउटपुट और परिणामों के लिए डैशबोर्ड विकसित करें

Website : www.iipa.org.in/cms/public/

नागरिक सामाजिक संगठन/निजी निकाय

सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसाइटी (CECOEDECON), जयपुर, राजस्थान

परियोजना: 'महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना'

महत्वपूर्ण पहल:

- क्षेत्रीय हितधारकों के साथ साझेदारी करना
- अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण

आउटरीच: **51,894**

Website : www.cecoedecon.org.in/

छाया विज्ञापन और संचार प्रा. लिमिटेड, भुवनेश्वर

परियोजना: 'डिजिटल लीगल लिटरेसी और सामुदायिक कानूनी जागरूकता'

महत्वपूर्ण पहल:

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाएं
- क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आउटरीच: **7,105**

Website : www.shadowadd.com

राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों

एनएलयू, नई दिल्ली

परियोजना: 'अधिकारों का ज्ञान उन्नति की पहचान'

महत्वपूर्ण पहल:

- महिला के विरुद्ध हिंसा के मामलों में कानूनी [illegible] के बारे में जागरूकता बढ़ाना
- सामुदायिक भागीदारी का [illegible] तैयार करें

आउटरीच: **857**

Website : www.nludelhi.ac.in/home.aspx

एनएलआईयू, भोपाल

परियोजना: 'राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल कानूनी साक्षरता - डिजाइन, विकास, प्रबंधन और परीक्षण - ई न्यायगंगा'

महत्वपूर्ण पहल:

- डिजिटल कानूनी साक्षरता पर डिजिटल आईईसी सामग्री का विकास और प्रसार
- डिजिटल सामग्री के निर्माण की सुविधा के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और निजी एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए

आउटरीच: **3,705**

Website : www.nliu.ac.in/

एनएलएसआईयू, बेंगलुरु

परियोजना: 'डिजिटल कानूनी साक्षरता-प्रसार और मूल्यांकन'

महत्वपूर्ण पहल:

- कानूनी साक्षरता के लिए समर्पित YouTube चैनल CEERA-NLSIU-DoJ की डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करें
- प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना
- राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन
- कानूनी साक्षरता के लिए मिनट बुक का प्रकाशन

आउटरीच: **3,401**

Website : www.nls.ac.in/

ग्रामीण विकास के राज्य संस्थान

एसआईआरडी, पुणे, महाराष्ट्र

परियोजना: 'महाराष्ट्र में राज्य की **100** ग्राम पंचायतों में विधि दूतों का प्रचार'

महत्वपूर्ण पहल:

- ग्राम स्तर पर 700 विधिदूतों की पहचान और क्षमता निर्माण
- YASHADA के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कानूनी साक्षरता सामग्री और उपकरण का निर्माण

आउटरीच: **392**

Website : www.yashada.org/

बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट (BIPARD), पटना

परियोजना: 'बिहार की ग्राम पंचायतों में **700** विधि मित्रों का प्रचार'

महत्वपूर्ण पहल:

- 700 विधि मित्रों का क्षमता निर्माण
- आईईसी सामग्री और सेवाप्रदाता प्रशिक्षण किट विकसित करना

आउटरीच: **87**

Website : www.bipard.bihar.gov.in/

अब्दुल नज़ीर साहब राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायत राज, मैसूर, कर्नाटक

परियोजना: 'मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार'

महत्वपूर्ण पहल:

- पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण
- प्रशिक्षण सत्रों का वीडियो/वेब प्रसारण सुनिश्चित करें
- आईईसी किट और प्रशिक्षण मैनुअल विकसित करें

आउटरीच: **31,412**

Website : www.sirdmysuru.karnataka.gov.in/

मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिलांग, मेघालय

परियोजना: 'सामुदायिक मध्यस्थता'

Website : www.mslsa.gov.in/

हमारे **14** भागीदार: प्रभाव क्षेत्र

प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (दिशा)
एक्सेस टू जस्टिस डिवीज़न,
डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस
मानसिंह रोड, जैसलमेर हाउस
नई दिल्ली - 110011
Ph: 011-23072147, Ext 292 & 257

www.doj.gov.in/

आज़ादी का अमृत महोत्सव

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्युशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस (दिशा)

पैन इंडिया कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) सामग्री

श्री अर्जुन राम मेघवाल
माननीय राज्य मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय
(स्वतंत्र प्रभार)

न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
2023

सत्यमेव जयते
Department of Justice
Ministry of Law and Justice
Government of India
डिजाइनिंग
इनोवेटिव
सोलुशन्स फॉर
होलिस्टिक
एक्सेस टू जस्टिस
दिशा
पैन इंडिया कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम
SCAN ME
क्यू आर कोड के माध्यम से कानूनी जानकारी डिकोड करना
श्री अर्जुन राम मेघवाल
माननीय राज्य मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार)

राष्ट्रीय वेबिनार श्रृंखला

कोविड-19 महामारी ने देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक चुनौती पेश की। इसी अभूतपूर्व समय को महसूस करते हुए, न्याय विभाग (डीओजे) ने वेबिनार की श्रृंखला आयोजित करने के लिए पहल की, जो वर्तमान प्रासंगिकता के विभिन्न सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर लोगों में "नो-एक्सेस" से "रिमोट एक्सेस" और रिमोट एक्सेस से "वर्चुअल एक्सेस" के रूप में बदलाव का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा, "जन आंदोलन" के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, इन वेबिनारों ने सामाजिक-कानूनी जानकारी के वितरण को उत्प्रेरित करने और जनता को एक मंच पर जोड़ने के लिए उपलब्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और तकनीक का उपयोग किया है।

राष्ट्रीय वेबिनार के 3सी

जोड़ना	क्षमता	मिलना
नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाली सामाजिक-कानूनी जानकारी तक पहुंच प्रदान करना, उन तक निर्बाध और सार्थक तरीके से पहुंचना	दिशा के जमीनी स्वयंसेवक और भागीदार एजेंसियां	क्रॉस-सेक्टोरल क्षेत्रों पर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ

पहुँचना

हमारी 16 राष्ट्रीय वेबिनार 3.87 लाख प्रतिभागियों तक पहुंची।

"मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि न्याय विभाग दिशा योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक सूचना विवरणिका प्रकाशित कर रहा है। जैसे ही हम अमृत काल में प्रवेश करते हैं, अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद, हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह युग कानूनी सशक्तिकरण और प्रत्येक नागरिक की सूचित भागीदारी द्वारा चिह्नित किया जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम ऐसी नीतियों में निवेश करें जो नागरिकों को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके कानूनी अधिकारों और हकों तक आसानी से पहुंचने में सक्षम बनाते हैं। वेबिनार में भाग लेकर इस देश के हर कोने में कानूनी सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए बेहतर तरीके सीख सकते हैं और अपना सकते हैं।

"न्याय विभाग के तत्वावधान में आयोजित की जा रही राष्ट्रीय वेबिनार की यह अभिनव श्रृंखला हमें विश्वास दिलाती है कि न्याय तक पहुंच प्रदान करने की चुनौती को केवल एक सेवा द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन विभिन्न स्तरों पर सभी हितधारकों को और विकसित करने की आवश्यकता है। समानता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। देश के सर्वांगीण विकास की दिशा में काम करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी सामाजिक समूहों की राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक समान पहुंच हो और बिना किसी भेदभाव के आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के समान अवसर हों। अनुच्छेद 39A के माध्यम से, राज्य के नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। यह भारत के संविधान में परिकल्पित कल्याणकारी व्यवस्था है जिसे मैं वेबिनार प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। ऐसे प्रयासों से ही हम आम आदमी के लिए कानूनों को सुलभ और समझने योग्य बनाने में सक्षम होंगे और यह समाज के सभी वर्गों तक न्याय की पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं न्याय विभाग को उनकी पहल के लिए बधाई देता हूं और उनकी सराहना करता हूं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल
माननीय कानून और न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

अखिल भारतीय कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

राष्ट्रीय वेबिनार श्रृंखला के तहत शामिल किए गए सामाजिक-कानूनी विषय

1. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
   आयोजित: 22 सितंबर, 2021
2. बाल अधिकार
   आयोजित: 14 नवंबर, 2021
3. मौलिक कर्तव्य
   आयोजित: 26 नवंबर, 2021
4. गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994
   आयोजित: 7 जनवरी, 2022
5. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013
   आयोजित: 18 फरवरी, 2022
6. भारत में लैंगिक न्याय
   आयोजित: 8 मार्च, 2022
7. कानून के साथ संघर्ष में बच्चे
   आयोजित: 25 अप्रैल, 2022
8. देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे
   आयोजित: 27 मई, 2022
9. भारत में मानव तस्करी
   आयोजित: 29 जून, 2022
10. वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार
    आयोजित: 31 अगस्त, 2022
11. भारत में साइबर अपराध
    आयोजित: 28 अक्टूबर, 2022
12. संवैधानिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य
    आयोजित: 25 नवंबर, 2022
13. भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार
    आयोजित: 27 दिसंबर, 2022
14. भारत में अंडरट्रायल कैदियों के अधिकार
    आयोजित: 30 जनवरी, 2023
15. ट्रांसजेंडर व्यक्ति और उनके अधिकारों का संरक्षण
    आयोजित: 6 मार्च, 2023
16. उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण
    आयोजित: 28 मार्च, 2023

"न्याय वितरण को आसान, त्वरित और सुलभ तरीके से आगे बढ़ाने से देशवासियों का लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास मजबूत होता है। सरकारी तंत्र में इस विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए हम देश के दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में, डिजा योजना के तहत, क्षेत्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से और सबद्ध मंत्रालयों और विभागों, स्थायत निकायों के सहयोग से DoJ द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय वेबिनार की दे श्रृंखला, प्रत्येक नागरिक के कानूनी सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक आह्वान है और जिसके फलस्वरूप लोगो के न्याय तक पहुंच को लोकप्रिय आन्दोलन का रूप मिलेगा।

श्री एस के जी रहाटे
सचिव, न्याय विभाग

1 घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं का संरक्षण

पूरा वीडियो देखने के लिए QR कोड स्कैन करें

प्रख्यात वक्ता

श्री आशुतोष पांडे
राष्ट्रीय महिला आयोग

श्री दया शंकर
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

सुश्री शालिनी अग्निहोत्री
पुलिस अधीक्षक

एडवोकेट ऑड्री डिमेलो
मजलिस

2 बाल अधिकार

पूरा वीडियो देखने के लिए QR कोड स्कैन करें

प्रख्यात वक्ता

प्रोफेसर श्रीकृष्ण देव राव
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

श्री आफताब मोहम्मद
यूनिसेफ

श्री अनंत अस्थाना
बाल अधिकार एडवोकेट

3 मौलिक कर्तव्य

पूरा वीडियो देखने के लिए QR कोड स्कैन करें

प्रख्यात वक्ता

डॉ. निगम नुग्गेहल्ली
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी

प्रो. डॉ. श्रीकृष्ण देव राव
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी

प्रो. डॉ. दिलीप उके
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी

4 गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994

पूरा वीडियो देखने के लिए
QR कोड स्कैन करें

प्रख्यात वक्ता

श्री इलान्गम रॉबर्ट सिंह
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री नवेंद्र सिंह
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

श्री संजीव नरूला
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री रितेश तिवारी
राजस्थान उच्च न्यायालय

5 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013

पूरा वीडियो देखने के लिए
QR कोड स्कैन करें

प्रख्यात वक्ता

सुश्री सुनीता सुमन
लीगल इन्टलेक्ट

श्री जसबीर सिंह बजाज
लीगल इन्टलेक्ट

6 भारत में लैंगिक न्याय

पूरा वीडियो देखने के लिए
QR कोड स्कैन करें

प्रख्यात वक्ता

प्रोफेसर डॉ. उषा टंडन
लॉ संकाय

डॉ. अमिता पुंज
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी

सुश्री तेजस्विनी गौतम
पुलिस अधीक्षक

एडवोकेट ऑड्री डिमेलो
मजलिस

सुश्री लिपि मलिक
ओ.एस.सी.

7 कानून के साथ संघर्ष में बच्चे

पूरा वीडियो देखने के लिए QR कोड स्कैन करें

प्रख्यात वक्ता

- सुश्री राधा नागेश, काउंसलर
- श्री अशोक कुमार
- श्री नरेंद्र सिंह, एम.डब्ल्यू.सी.डी
- श्री अनंत अस्थाना, सर्वोच्च न्यायालय
- सुश्री रोज़ी तबा, एनसीपीसीआर

8 देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे

पूरा वीडियो देखने के लिए QR कोड स्कैन करें

प्रख्यात वक्ता

- सुश्री सोलेदाद हेरेरो, यूनिसेफ
- सुश्री इंद्रा मल्लो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- श्री प्रियांक कानूनगो, एनसीपीसीआर
- डॉ. एस. आर. शर्मा, बाल कल्याण समिति
- सुश्री कविता भंडारी, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

9 भारत में मानव तस्करी

पूरा वीडियो देखने के लिए QR कोड स्कैन करें

प्रख्यात वक्ता

- डॉ. पी. एम. नायर, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल
- सुश्री डिम्पी कौर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- श्री धीरज वर्मा, राजस्थान पुलिस अकादमी
- सुश्री मुक्ता लेप्चा, सिक्किम राज्य महिला आयोग
- श्री निशिकांत, शक्ति वाहिनी

10 भारत में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार

पूरा वीडियो देखने के लिए
QR कोड स्कैन करें

प्रख्यात वक्ता

श्री भरत लाल मीणा
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

श्री. मनोज सी.
दिल्ली पुलिस

सुश्री अनुपमा दत्ता
हेल्पएज इंडिया

श्री राजीव सहाय
रैज़दा दिल्ली उच्च न्यायालय

श्री आलोक व्यास
सीओएईकॉन

डॉ. उमा शर्मा
एनसीईआरटी

11 भारत में साइबर अपराध

पूरा वीडियो देखने के लिए
QR कोड स्कैन करें

प्रख्यात वक्ता

प्रो. डॉ. माधुरी पारिख निरमा
विश्वविद्यालय

डॉ नवतिका सिंह नौटियाल
एनएफएसयू

श्री केडली गौतम कुमार

श्री प्रेम नाथ
दिल्ली पुलिस

12 संवैधानिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य

पूरा वीडियो देखने के लिए
QR कोड स्कैन करें

प्रख्यात वक्ता

प्रो. अनुराग दीप
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी

प्रो. नुजहत परवीन खान
जामिया मिलिया इस्लामिया

डॉ. ए. पी. राय
सर्वोच्च न्यायालय

13 भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार

पूरा वीडियो देखने के लिए
QR कोड स्कैन करें

प्रख्यात वक्ता

श्री राजीव रतूड़ी
सक्षम ट्रस्ट

श्री गौरव कुमार गुप्ता
सलाहकार

सुश्री राधिका अल्काज़ी
एनसीपीपीसीआर

श्री अमर जैन
कॉरपोरेट वकील

सुश्री श्रुति
इनेबल इंडिया

14 भारत में विचाराधीन कैदियों के अधिकार

पूरा वीडियो देखने के लिए
QR कोड स्कैन करें

प्रख्यात वक्ता

सुश्री मधुरिमा धानुका
राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल

श्री मोहित राव
प्रोजेक्ट दूसरा मौका

श्री विक्रम श्रीवास्तव
वकील

श्री सुनील कुमार मीणा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

सुश्री संतोष स्नेही
एनएलएसए

15 ट्रांसजेंडर व्यक्ति और उनके अधिकारों का संरक्षण

पूरा वीडियो देखने के लिए
QR कोड स्कैन करें

प्रख्यात वक्ता

प्रो. (डॉ.) सी.जे. रवांडले
प्रोफेसर और निदेशक,
सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा

सुश्री किरण
नाज़ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट
के प्रतिनिधि

श्री रेक्स मेहता
जीपीआर रणनीतियाँ और
समाधान, रायपुर

सुश्री रुद्रानी छेत्री
परियोजना निदेशक, मित्र ट्रस्ट,
गरिमा गृह, दिल्ली

16 उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण

पूरा वीडियो देखने के लिए
QR कोड स्कैन करें

प्रख्यात वक्ता

प्रो. (डॉ.) संगीता ताक
आरजीएनएलयू

प्रो. अंकित श्रीवास्तव
आरजीएनएलयू

श्री बेजोन मिश्रा
अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ

श्री प्रांजल सिन्हा
सह-संस्थापक, सभा

वेबिनार आउटरीच

कुल आउटरीच **3.87** लाख

वेबिनार कवरेज

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

MLJ.GovIndia | @mlj_gol | @MLJ_Gol | law-and-justice-ministry-india | @mlj_gol

कर्टसी:

प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट

एक्सेस टू जस्टिस डिवीज़न,
डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस
26, मानसिंह रोड, जैसलमेर हाउस
नई दिल्ली - 110011
Ph: 011-23072147, Ext 292 & 257

Our Technical Collaborating Partners:

Department of Justice
Ministry of Law and Justice
Government of India

आज़ादी का अमृत महोत्सव

डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्युशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस (DISHA)

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना

न्याय विभाग ने पाँच वर्ष (2021-2026) की अवधि के लिए "न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना" शीर्षक से न्याय तक पहुँच पर एक योजना शुरू की है । इसका उद्देश्य भारत के लोगों के लिए "न्याय" प्राप्त करना है, जैसा कि प्रस्तावना में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 39क, 14 और 21 के तहत दिया गया है । यह अपने टेली.लॉ, प्रो. बोनो लीगल सर्विसेज (न्याय बंधु) और विधिक साक्षारता और विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की पहुँच को गुणवत्ता और मात्रात्मक दोनों तरीकों से बढ़ाता है । इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जागरूकता और प्रसार करना और जनता के लिए सरलीकृत सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री विकसित करना है ।

टेली.लॉ – वंचितों तक पहुँच

यह एक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य लोगों को उनकी हकदारियों का सही दावा करने और उनकी कठिनाइयों का समय पर निवारण करने के लिए मुकदमा से पहले की सलाह के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना है । इसमें पैनल वकीलों के एक समर्पित पूल के माध्यम से जन सेवा केन्द्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ टेलीफोनिक सुविधाओं के माध्यम से और सीधे टेली. लॉ मोबाइल ऐप (एंड्रोइड /iOS में उपलब्ध) के माध्यम से समाज के गरीब और हाशिये के वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया गया है ।

न्याय बंधु-प्रो-बोनो विधिक सेवाएँ:

न्याय बंधु (प्रो.बोनो लीगल सर्विसेज) का उद्देश्य, निशुल्क विधिक सेवाओं की प्रदायगी के लिए एक अखिल भारतीय ढांचा तैयार करना है । इसके तहत स्वेच्छा से अपना समय और सेवाएँ देने के इच्छुक अधिवक्ता, न्याय बंधु मोबाइल ऐप (इंडरोइड/ आईओएस/उमंग/प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) पर पंजीकृत होते है और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए न्याय बंधु ऐप पर पंजीकृत करके पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करते है ।

विधिक सहायता एवं विधिक जागरूकता अखिल भारतीय विधिक साक्षारता

अखिल भारतीय विधिक साक्षारता और विधिक जागरूकता का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को उनके कानूनी अधिकारों, हकदारियों के बारे में उनकी जानकारी तक पहुँच बनाना और उनमें बेहतर विधिक जागरूकता पैदा करना है, ताकि न्याय प्रदायगी प्रणाली को नागरिक केन्द्रित बनाया जा सके ।

भारत सरकार
DEPARTMENT OF JUSTICE

TELE-LAW

REACHING THE UNREACHED

कानूनी सलाह अब आपके गाँव तक

SEEK: LEGAL ADVICE & LEGAL INFORMATION ON-:

- Dowry, Family Dispute, Talak, Domestic Violence & Maintenance
- Sexual Harassment of Women at Workplace
  Words, Acts, Gestures intended to Insult the Modesty of Women, Indecent Representation of women
- Land Disputes, Tenancy and Lease, Property and Inheritance Rights
- Equal pay for Equal work, Minimum wages
  Maternity Benefits, Medical Termination of Pregnancy, Prevention of misuse of Pre and Post Natal
- Prevention of Child Marriage,
  Protection Of Children from Sexual Offences (POCSO)
  Child Labor/bonded Labor, Right to Education (RTE)
- Lodging of FIR, Arrest, Bail
- Atrocities against Scheduled Caste and Scheduled Tribes (SC/ST)
- Entitlement and benefits under various schemes

For more information visit the Tele-Law website: www.tele-law.in

VOICES FROM FIELD (SELFIE DRIVE CAMPAIGN)

Nirgappa
Bangalore Rural, Karnataka

Gurmail Singh
Moga, Punjab

Shivani Parida
Dhenkanal, Odisha

Parth Sarthi
Bangalore Rural, Karnataka

Archana
Wayanad, Kerela

Citizens Tele-Law Mobile App

Download Mobile App

- Application in 22 Scheduled Language
- Separate Mobile App available for Advocates and Citizens

KEY HIGHLIGHTS

Bikaner, Rajasthan

Sivaganga, Tamil Nadu

Bhandara, Maharashtra

- 700+ DLSA advocates onboarded.
- 33,000+ Women Para Legal Volunters (PLVs) for community awareness.
- 1400+ Awareness camps/Training sessions conducted for citizens Village Level Entrepreneurs(VLEs), PLVs & State Coordinators(SCs).
- 100+ selfie videos of Tele-Law Frontline Functionaries and beneficiaries on Facebook/Twitter social media sites.
- 2 Crore citizens reached out through SMS campaign.
- Backlog clearance drive to achieve Zero pendency of unattended cases.
- Special Login Days to boost case registration and raise awareness.
- 188+ functionaries PLVs, VLEs, PLs & SCs awarded for best performance.

Our Collaborating Partners

Project Monitoring and Access to Justice Division
Department of Justice